हर इंसान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
कैलाश राजपुरोहित
मो. 8963095311

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक 55769

दिनांक : 12.06.2021

श्रीमान नरेन्द्र मोदी साहेब,
तपस्वी प्रधानमंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषयः– पूरे देश में दस लाख पूजा स्थलों को योग स्वास्थ्य केन्द्र में विकसित करने बाबत।

लक्ष्य :–सरकारी/निजी चिकित्सालयों में मरीजों की संख्या 80 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि 21 जून को आप श्रीमान के प्रयासों से ही विश्व योग दिवस के रूप में स्थापित करवाने में सफलता मिल पाई है। यह योग दिवस करोड़ों भारतीय नागरिकों को स्वस्थ, सक्रिय एवं दक्ष रखने में हमेशा के लिए सफल हो सके इसके लिए इसे संस्थागत रूप देकर व्यापक आधार दिया जाना अति आवश्यक है।

हमारी जानकारी में गूगल सर्च में यह आया है कि पूरे भारत वर्ष में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 3.01 मिलियन अर्थात 30 लाख 10 हजार पूजा स्थल हैं। जिनमें मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि शामिल है। हमारा आपसे आग्रह है कि उपरोक्त 30 लाख 10 हजार पूजा स्थलों में से लगभग 10 लाख पूजा स्थलों को ''योग स्वास्थ्य केन्द्रों'' के रूप में सरकारी–निजी भागीदारी में विकसित किया जाए।

हमारे देश में लगभग 130 करोड़ जनसंख्या है जिसमें से प्रथम चरण में 100 करोड़ जनसंख्या को लक्षित किया जावे तो उपरोक्त 10 लाख पूजा स्थलों में से औसतन प्रत्येक के कार्यक्षेत्र में लगभग 1000 जनसंख्या अर्थात औसतन 200 परिवार आयेंगे। इन स्थास्थ्य केन्द्रों को विकसित और संचालित करने में निम्न बिन्दुओं पर कार्य किया जायें:–

1. प्रत्येक योग स्वास्थ्य केन्द्र पर दो प्रशिक्षित योग–स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त किये जाए जिनमें उस पूजा स्थल के योग्य एवं प्रशिक्षित पूजारी, मौलवी, पादरी, ग्रंथी आदि भी शामिल हो सकते है।
2. उक्त योग स्वास्थ्य कर्मियों को उस क्षेत्र में आने वाले परिवारों (लगभग 200) के स्वास्थ्य की प्राथमिक जिम्मदारी दी जाए। जिन्हें ये लगातार सुबह और शाम दो–दो घण्टे योग एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियॉ करवाते रहें।
3. इन योग स्वास्थ्य कर्मियों को स्वस्थ, सर्किय एवं दक्ष जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत योगासनों एवं प्राणायामों की प्रशिक्षण देकर तैयार किया जावे और रोग विशेष के लिए आवश्यक एवं प्रभावी योग/प्राणायाम की जानकारी भी दी जावे। यह प्रशिक्षण बड़ी आसानी से तीन माह की अवधि में दिया जा सकता है। जिसके उपरान्त कठिन परीक्षा के जरिये उचित एवं मान्य प्रमाण पत्र भी दिया जाना अनिवार्य होना चाहिये।
4. इन योग स्वास्थ्य कर्मियों को बुखार, जुकाम, खांसी, नजला, सिरदर्द, पावं में मोच, साइटिका, गैस, अपच, कब्ज आदि छोटे–मोटे आम स्वभाव के कम से कम 100 रोगों का सटिक और प्रभावी उपचार के लिए आयुर्वेदिक/हौम्योपैथी/यूनानी/अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की औषधियॉ बताई जानी चाहिये ताकि इन सभी रोगों का आम नागरिक को निवास के नजदीक ही बहुत सस्ता, सुलभ और सुगम उपचार तत्काल मिल सके।

P.T.O.

हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
कैलाश राजपुरोहित
मो. 8963095311

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक

दिनांक :

5. यह अनिवार्य किया जाना चाहिये कि किसी भी चिकित्सा पद्धति के सरकारी अथवा निजी चिकित्सालय में किसी मरीज का ईलाज तभी किया जावे जब उसके क्षेत्र से संबंधित योग स्थास्थ्यकर्मी द्वारा उसके उपरोक्त 100 रोगों में से किसी रोग के निदान या उपचार में अपनी असमर्थता जताते हुये उस रोगी को सदर्भित (रेफर) किया गया हो।

6. इन योग स्वास्थ्य कर्मियों को उपकी सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक दिये जाने हेतु उस क्षेत्र के औसतन 200 परिवारों से प्रति परिवार, प्रति माह 100 रूपये सहयोग राशि उनके पानी के बिलों में ही जोड़ कर ली जानी चाहिये। इस प्रकार एकत्र हुई राशि रूपये 20 हजार में 20 हजार का अतिरिक्त योगदान राज्य + केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाना चाहिये। इस 40 हजार की राशि में से 15–15 हजार की राशि दोनों स्वास्थ्य कर्मियों को तथा 10 हजार की राशि उस योग स्वास्थ्य केन्द्र के सुसंचालन के लिए दी जानी चाहिये।

7. उपरोक्त योग स्वास्थ्य केन्द्रों पर संबंधित जिले अथवा तहसील मुख्यालयों पर कार्यरत आयुर्वेदाचार्यों, योगाचार्यों, होम्योपैथी डाक्टर, यूनानी चिकित्सक आदि की साप्ताहिक विजिट अनिवार्य की जानी चाहिये।

उपरोक्त बिन्दु केवल मात्र प्रारंभिक तौर पर दिये गये है। इसी प्रकार के अन्य बिन्दु संबंधित राज्य/केन्द्र सरकारों द्वारा इन योग स्वास्थ्य केन्द्रों के सुसंचालन के लिए जोड़े जा सकते हैं। इन योग स्वास्थ्य केन्द्रों से भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की प्रतिष्ठा बढेगी, योग/प्राणायाम को संस्थागत रूप मिलेगा, केन्द्र/राज्यों की सरकार पर आम जनता की स्वास्थ्य समस्याओं को बोझ घटेगा, सरकारी–निजी भागीदारी होने से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इन योग स्वास्थ्य केन्द्रों की उपयोगिता बढेगी, ऐलोपैथी के सरकारी अथवा निजी चिकित्सालयों में मरीजों का असहनीय बोझ 80–90 प्रतिशत तक घट सकेगा, आम नागरिकों को प्राकृतिक रूप से स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, करोड़ों भारत वासियों को स्वस्थ–सक्रिय–दक्ष जीवन का आनन्द मिल सकेगा, चिकित्सा क्षेत्र के भ्रष्टाचार की रोकथाम होगी, आम नागरिक अपने सहज–सुलभ–सुगम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकेगा।

त्वरित सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा में आपका शुभाकांक्षी,

भवदीय,
//
(पाराशर नारायण)
अध्यक्ष

55770 से 56560

प्रतिलिपिः– राज्यसभा/लोकसभा के सभी सम्मानित सांसदों को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।